

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 379]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 25 अगस्त 2014—भाद्र 3, शक 1936

वाणिज्यिक कर विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 अगस्त 2014

क्र. एफ-ए-3-35-2014-1-पांच-(40).—यतः, राज्य सरकार यह आवश्यक समझती है कि मध्यप्रदेश वेट नियम, 2006 में निम्नलिखित संशोधन मध्यप्रदेश राजपत्र में पूर्व प्रकाशन के बिना तत्काल किए जाएं;

अतएव, मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 71 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश वेट नियम, 2006 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

#### संशोधन

उक्त नियमों में, —

(1) नियम 21 में, उपनियम (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(5) “इस नियम में किसी प्रतिकूल बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी, 1 अप्रैल 2014 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाली कालावधियों हेतु विवरणी प्ररूप 10 में जो कि अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-35-2014-1-पांच, (27) दिनांक 28 जून 2014 द्वारा संशोधन के पूर्व लागू था, में प्रस्तुत की जा सकेगी.”;

(2) प्ररूप 4-ख में,—

(एक) सारणी में, शीर्षक “राज्य के भीतर के क्रय का विवरण” के अधीन, टिप्पणी में, अनुक्रमांक 3 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक एवं उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात्:—

“4. किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी से एक समान कर की दर (वेट) वाले अनुसूची 2 के मालों के क्रय (टिन वार) समेकित किए जा सकते हैं. (इनवाईस विवरण, अनुसूची/भाग/प्रविष्टि और प्रवेश कर की प्रास्थिति ऐच्छिक हैं)”.

(दो) शीर्षक "राज्य के बाहर से क्रय/ प्राप्तियों का विवरण" के अधीन, टिप्पणी में,—

- (क) अनुक्रमांक 1 और 2 में, पूर्ण विराम के स्थान पर अल्प विराम स्थापित किया जाए और उसके पश्चात् शब्द "यदि अंतर्राज्यीय घोषणा प्ररूप आवश्यक नहीं है." अंतःस्थापित किए जाएं;
- (ख) अनुक्रमांक 3 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात् :—

"4. किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी से एक समान कर की दर (वेट) और संव्यवहार की प्रकृति वाले अनुसूची 2 के मालों के क्रय (टिन वार) समेकित किए जा सकते हैं. (इनवाईस विवरण अनुसूची/ भाग/ प्रविष्टि और प्रवेश कर की प्रास्थिति ऐच्छिक हैं):

परन्तु व्यापारी इनवाईस विवरण उपलब्ध कराकर विवरणी के साथ कानूनी प्ररूपों के लिए आवेदन कर सकता है."

(3) प्ररूप 5 में,—

(एक) शीर्षक "विक्रय का विवरण" के अधीन, टिप्पणी में अनुक्रमांक 2 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक एवं उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात्:—

"3. किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी को एक समान दर वाले अनुसूची 2 के मालों के विक्रय (टिन वार) एक मुश्त समेकित किए जा सकते हैं. (इनवाईस विवरण अनुसूची/ भाग/ प्रविष्टि और प्रवेश कर की प्रास्थिति ऐच्छिक हैं)";

(दो) शीर्षक "राज्य के भीतर से क्रयों का विवरण" के अधीन, टिप्पणी में अनुक्रमांक 3 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक एवं उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात्:—

"4. किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी से एक समान कर की दर (वेट) वाले अनुसूची 2 के मालों के क्रय (टिन वार) समेकित किए जा सकते हैं. (इनवाईस विवरण अनुसूची/ भाग/ प्रविष्टि और प्रवेश कर की प्रास्थिति ऐच्छिक हैं)";

(तीन) शीर्षक "प्रवेश कर" और उसके अधीन भाग का लोप किया जाए;

(4) प्ररूप 10 में,—

(एक) भाग-क में, टिप्पणी में, अनुक्रमांक 2 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक एवं उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात्:—

"3. किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी को एक समान कर की दर वाले अनुसूची 2 के मालों का विक्रय (टिन वार), स्रोत पर कर की कटौती की प्रास्थिति और विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र की प्रास्थिति समेकित किए जा सकते हैं. (इनवाईस विवरण अनुसूची/ भाग/ प्रविष्टि और प्रवेश कर की प्रास्थिति ऐच्छिक हैं)";

(दो) भाग-ख में,—

(क) शीर्षक के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के अधीन संव्यवहार (केवल ऐसे व्यापारियों द्वारा प्रस्तुत किया जाना है जो केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के अधीन कर के भुगतान हेतु दायी नहीं हैं)";

(ख) सारणी में, कालम (17) में, अक्षर, अंक और शब्द "ई 1/ई 2 क्र." के पश्चात्, शब्द "यदि उपलब्ध हो" स्थापित किए जाएं;

(ग) सारणी के पश्चात्, निम्नलिखित टिप्पणी अंतःस्थापित की जाए, अर्थात्:—

“टिप्पणी.—इनवाईस विवरण, अनुसूची/ भाग/ प्रविष्टि और बिल्टी/ रेल्वे रसीद विवरण ऐच्छिक हैं”;

(तीन) भाग ग, और उसके पश्चात् टिप्पणी का लोक किया जाए;

(चार) भाग-घ में, टिप्पणी में, अनुक्रमांक 3 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक एवं उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात्:—

“4. किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी से एक समान कर की दर (वेट) वाले अनुसूची 2 के मालों के क्रय (टिन वार) और आगत कर में छूट के दावे की प्रास्थिति समेकित किए जा सकते हैं. (इनवाईस विवरण, अनुसूची/ भाग/ प्रविष्टि और प्रवेश कर की प्रास्थिति ऐच्छिक हैं)”;

(पांच) भाग-ङ में, टिप्पणी में,—

(क) अनुक्रमांक 1 और 2 में, पूर्ण विराम के स्थान पर, अल्प विराम स्थापित किया जाए और उसके पश्चात्, शब्द “यदि अंतर्राज्यीय घोषणा प्ररूप आवश्यक नहीं है.” अंतःस्थापित किए जाएं;

(ख) अनुक्रमांक 3 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात् :—

“4. किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी से एक समान कर की दर (वेट) और संव्यवहार की प्रकृति वाले अनुसूची 2 के मालों के क्रय (टिन वार) समेकित किए जा सकते हैं. (इनवाईस विवरण, अनुसूची/ भाग/ प्रविष्टि और प्रवेश कर की प्रास्थिति ऐच्छिक हैं):

परन्तु व्यापारी इनवाईस विवरण उपलब्ध कराकर विवरणी के साथ कानूनी प्ररूपों के लिए आवेदन कर सकता है.”;

(छह) भाग-ड में, अनुक्रमांक 2 के सामने, कोष्ठक और अक्षर “(ड)” के स्थान पर, कोष्ठक और अक्षर “(ज)” स्थापित किए जाएं;

(सात) भाग-ढ में, सारणी में, कोष्ठक, अक्षर और अंक “(ज 8)” के स्थान पर, कोष्ठक, अक्षर और अंक “(ड 8)” स्थापित किए जाएं;

(आठ) भाग-त के स्थान पर, निम्नलिखित भाग स्थापित किया जाएं, अर्थात्:—

**भाग-त : स्रोत पर कर की कटौती का विवरण**

अनुक्रमांक	व्यापारी कार्यालय का नाम*	टीन नामांकन क्रमांक	स्रोत पर कर की कटौती का प्रमाण-पत्र क्रमांक* (यदि उपलब्ध हो)	दिनांक	स्रोत पर कर की कटौती की रकम*	चालान क्रमांक (यदि उपलब्ध हो)	चालान दिनांक (यदि उपलब्ध हो)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
			स्रोत पर कर की कटौती का योग					

(नौ) भाग-थ में, सारणी में, “चालान क्रमांक” और “चालान तारीख” से संबंधित कालम का लोप किया जाए;

(5) प्ररूप 10.1 में,—

(एक) प्रथम पैरा के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(मध्यप्रदेश के भीतर विक्रय/ क्रय करने वाला व्यापारी, जिसका विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र के व्यापारियों को कोई विक्रय न हो और न ही किसी प्रकार की स्रोत पर कटौती हो, जो धारा 9क के अधीन कर और धारा 10क के अधीन क्रय कर हेतु दायी न हो, कोई धन वापसी न हो, वह स्वयं संकर्म संविदा/ प्रशमन/ विनिर्माण में संलग्न न हो, इस प्ररूप में विवरणी प्रस्तुत कर सकता है)”;

(दो) भाग क में, टिप्पणी में, अनुक्रमांक 2 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात्:—

“3. किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी को एक समान कर की दर (वेट) वाले अनुसूची 2 के मालों के विक्रय (टिन वार) समेकित किए जा सकते हैं. (इनवाईस विवरण अनुसूची/ भाग/ प्रविष्टि और प्रवेश कर की प्रास्थिति ऐच्छिक हैं)”;.

(तीन) भाग ख में, टिप्पणी में, अनुक्रमांक 3 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात्:—

“4. किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी से एक समान कर की दर (वेट) वाले अनुसूची 2 के मालों के क्रय (टिन वार) और आगत कर में छूट के दावे की प्रास्थिति समेकित किए जा सकते हैं. (इनवाईस विवरण, अनुसूची/ भाग/ प्रविष्टि और प्रवेश कर की प्रास्थिति ऐच्छिक हैं)”;.

(चार) भाग घ में, शीर्षक “प्रवेश कर” और उसके अधीन भाग ङ और भाग च का लोप किया जाए.”.

(6) प्ररूप 10.2 में,—

(एक) प्रथम पैरा के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(मध्यप्रदेश के भीतर विक्रय और मध्यप्रदेश के भीतर और बाहर से क्रय/ प्राप्तियां करने वाला व्यापारी, जिसका विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र के व्यापारियों को कोई विक्रय न हो और न ही किसी प्रकार की स्रोत पर कटौती हो, जो धारा 9क के अधीन कर और धारा 10क के अधीन क्रय कर हेतु दायी न हो, कोई धन वापसी न हो, स्वयं संकर्म संविदा/ प्रशमन/ विनिर्माण में संलग्न न हो, इस प्ररूप में विवरणी प्रस्तुत कर सकता है).”;.

(दो) भाग क में, टिप्पणी में, अनुक्रमांक 2 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात्:—

“3. किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी को एक समान कर की दर वाले अनुसूची 2 के मालों के विक्रय (टिन वार) समेकित किए जा सकते हैं. (इनवाईस विवरण अनुसूची/ भाग/ प्रविष्टि और प्रवेश कर की प्रास्थिति ऐच्छिक हैं)”;.

(तीन) भाग ख में, टिप्पणी में, अनुक्रमांक 3 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात्:—

“4. किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी से एक समान कर की दर (वेट) वाले अनुसूची 2 के मालों के क्रय (टिन वार) और आगत कर में छूट के दावे की प्रास्थिति समेकित किए जा सकते हैं. (इनवाईस विवरण, अनुसूची/ भाग/ प्रविष्टि और प्रवेश कर की प्रास्थिति ऐच्छिक हैं)”;.

(चार) भाग ग में, —

(क) सारणी में, कालम (10) में, शब्द “क्रय /स्टॉक ट्रांसफर” के स्थान पर, शब्द “क्रय/स्टॉक ट्रांसफर मूल्य” स्थापित किए जाएं;

(ख) टिप्पणी में,—

(क) अनुक्रमांक 1 और 2 में, पूर्ण विराम के स्थान पर, अल्प विराम स्थापित किया जाए तथा उसके पश्चात् शब्द “यदि अंतर्राज्यीय घोषणा प्ररूप आवश्यक नहीं है.” अंतःस्थापित किए जाएं;

(ख) अनुक्रमांक 3 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात् :—

“4. किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी से एक समान कर की दर (वेट) और संव्यवहार की प्रकृति वाले अनुसूची 2 के मालों के क्रय (टिन वार) समेकित किए जा सकते हैं. (इनवाईस विवरण, अनुसूची/ भाग/ प्रविष्टि और प्रवेश कर की प्रास्थिति ऐच्छिक हैं):

परन्तु व्यापारी इनवाईस विवरण उपलब्ध कराकर विवरणी के साथ कानूनी प्ररूपों के लिए आवेदन कर सकता है.”;

(पांच) भाग ड शीर्षक “प्रवेश कर” और उसके अधीन भाग च और भाग छ का लोप किया जाए;

(7) प्ररूप 10-ख में,—

(एक) भाग-ड में, टिप्पणी में, अनुक्रमांक 3 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात्:—

“4. किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी से एक समान कर की दर (वेट) वाले अनुसूची-दो के मालों के क्रय (टिन वार) और आगत कर में छूट के दावे की प्रास्थिति की समेकित किए जा सकते हैं. (इनवाईस विवरण, अनुसूची/ भाग/ प्रविष्टि और प्रवेश कर की प्रास्थिति ऐच्छिक हैं)”;

(दो) भाग-च में, टिप्पणी में, अनुक्रमांक 3 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात्:—

“4. किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी से एक समान कर की दर (वेट) और संव्यवहार की प्रकृति वाले अनुसूची-दो के मालों के क्रय (टिन वार) समेकित किए जा सकते हैं. (इनवाईस विवरण, अनुसूची/ भाग/ प्रविष्टि और प्रवेश कर की प्रास्थिति ऐच्छिक हैं).”.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 25 अगस्त 2014

क्र. एफ-ए-3-35-2014-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-35-2014-1-पांच-(40), दिनांक 25 अगस्त 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

Bhopal, the 25th August 2014

No.F-A-3-35-2014-1-V (40).— WHEREAS, the State Government considers it necessary that the following amendments in the Madhya Pradesh Vat Rules, 2006 should be made at once without previous publication in the Madhya Pradesh Gazette.

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Section 71 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government, hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Vat Rules, 2006, namely :—

#### AMENDMENTS

In the said rules,—

(1) In rule 21, after sub-rule (4), the following sub-rule shall be inserted, namely :—

“(5) Notwithstanding anything to the contrary contained in this rule, the return for the periods commencing on or after 1-4-2014 may be furnished in Form 10 which was applicable before the amendment by the Notification No. F. A-3-35-2014-1-V (27), dated 28th June 2014.”;

(2) In Form 4-B,—

(i) in the table, under the heading “Details of Purchases from within the State”, in the Note, after serial number 3, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely:—

“ 4. Purchase of Schedule II goods from a registered dealer (TIN wise) of the same rate of tax (Vat) can be clubbed. (Invoice details, Schedule/Part/Entry and Entry Tax status are optional) ”;

(ii) under the heading “Details of Purchases/Receipts from out of State”, in the Note,

(a) in serial numbers 1 and 2, for full stop, the comma shall be substituted and thereafter, the words “if inter-State declaration form is not needed.” shall be inserted;

(b) after serial number 3, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely :—

“4. Purchase of Schedule-II goods from a registered dealer (TIN wise) of the same rate of tax (Vat) and nature of transaction can be clubbed. (Invoice details, Schedule/Part/Entry and Entry Tax status are optional):

Provided that the dealer may apply for statutory forms along with the return by providing invoice details.”.

(3) In Form 5, —

(i) under the heading “Details of sales”, in the Note, after serial number 2, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely :—

“3. Sales of Schedule II goods to a registered dealer (TIN wise) of the same rate in lump sum can be clubbed. (Invoice details, Schedule/ Part/ Entry and Entry Tax status are optional)” ;

(ii) under the heading “Details of Purchases within State”, in the Note, after serial number 3, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely :—

“4. Purchase of Schedule-II goods from a registered dealer (TIN wise) of the same rate of tax (Vat) can be clubbed. (Invoice details, Schedule/ Part/ Entry and Entry Tax status are optional)”;

(iii) the heading "Entry Tax" and the Part thereunder shall be omitted."

(4) In Form 10, —

(i) in Part-A, in the Note, after serial number 2, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely:—

"3. Sales of Schedule II goods to a registered dealer (TIN wise) of the same rate of tax, Tax Deduction at Source status and Special Economic Zone status can be clubbed. (Invoice details, Schedule/Part/Entry and Entry Tax status are optional)";

(ii) in Part-B,—

(a) for the heading, the following heading shall be substituted, namely:—

"Transactions under the Central Sales Tax Act, 1956;

(To be furnished only by the dealers not liable to pay tax under the Central Sales Tax Act, 1956)";

(b) in the table, in column (17), after the letters, figures and word "E1/E2 No.", the words, "if available" shall be substituted;

(c) after the table, the following note shall be inserted, namely:—

"Note : Invoice details, Schedule/ Part/ Entry and Builty / Railway Receipt details are optional";

(iii) Part: C, and the note thereafter shall be omitted;

(iv) in Part-D, in the Note, after serial number 3, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely :—

"4. Purchases of Schedule-II goods from a registered dealer (TIN wise) of the same rate of tax (Vat) and Input Tax Rebate Claim status can be clubbed. (Invoice details, Schedule/ Part/ Entry and Entry Tax status are optional)";

(v) in Part-E, in the Note, —

(a) in serial Numbers 1 and 2, for full stop, the comma shall be substituted and thereafter, the words "if inter-State declaration form is not needed." shall be inserted;

(b) after serial number 3, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely :—

"4. Purchase of Schedule-II goods from a registered dealer (TIN wise) of the same rate of tax (Vat) and nature of transaction can be clubbed. (Invoice details, Schedule / Part/ Entry and Entry Tax status are optional);

Provided that the dealer may apply for statutory forms along with the return by providing invoice details.";

(vi) in PART-M, against serial number 2, for the bracket and letter "(E)", the bracket and letter "(J)", shall be substituted;

(vii) in PART-N, in the table, for the bracket, letter and figure “(H 8)”, the bracket, letter and figure “(M 8)”, shall be substituted;

(viii) for PART-P, the following PART shall be substituted, namely:—

PART P: Details of Tax Deduction at Source

S.No.	Name of Dealer office*	Tin Enrollment No.	Tax. Deduction at Source Certificate No.* (if available)	Date*	Amount of Tax. Deduction at Source*	Challan No. (if available)	Challan Date (if available)
-------	------------------------	--------------------	--	-------	-------------------------------------	----------------------------	-----------------------------

Total of Tax Deduction at Source

(ix) in PART-Q, in the table, the columns relating to “Challan No.” and “Challan Date” shall be omitted;

(5) In Form 10.1,—

(i) for the first para, the following para shall be substituted, namely:—

“(The dealer having Sale /Purchase within Madhya Pradesh with no sale to Special Economic Zone dealers, nor any kind of Tax Deduction at Source, not liable for Tax under section 9A and Purchase Tax under section 10A, no refunds, himself is not involved. in works contract/ Composition/ manufacturing, may furnish return in this form)”;

(ii) in part A, in the Note, after serial number 2, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely:—

“3. Sales of Schedule II goods to a registered dealer (TIN wise) of the same rate of tax can be clubbed. (Invoice details, Schedule/ Part/ Entry and Entry Tax status are optional)”;

(iii) in part B, in the Note, after serial number 3, the following serial. number and entries relating thereto shall be inserted, namely:—

“4. Purchase of Schedule-II goods from a registered dealer (TIN wise) of the same rate of tax (Vat) and Input Tax Rebate claim status can be clubbed. (Invoice details, Schedule/ Part/ Entry and Entry Tax status are optional)”;

(iv) in part D, the heading “Entry Tax” and Part E and Part F there under shall be omitted.”.

(6) In Form 10.2, —

(i) for the first para, the following para shall be substituted, namely:—

“(The dealer having Sale within Madhya Pradesh and Purchases/Receipts from within and out of Madhya Pradesh, with no sale to Special Economic Zone dealers, nor any kind of Tax Deduction at Source, not liable for Tax under section 9A and Purchase Tax under section 10A, no refunds, himself is not involved in works contract/ Composition/ manufacturing, may furnish return in this form).”;



(ii) in Part A, in the Note, after serial number 2, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely:-

“3. Sales of Schedule II goods to a registered dealer (TIN wise) of the same rate of tax can be clubbed. (Invoice details, Schedule/ Part/ Entry and Entry Tax status are optional)”;

(iii) in Part B, in the Note; after serial number 3, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely:—

“4. Purchase of Schedule-II goods from a registered dealer (TIN wise) of the same rate of tax (Vat) and Input Tax Rebate claim ‘status can be clubbed. (Invoice details, Schedule/Part/ Entry and Entry Tax status are optional)”;

(iv) in PART-C,—

(a) In the table, in column (10), for the words “Purchase/ Stock Transfer”, the words “Purchase / Stock Transfer Value” shall be substituted;

(b) in the Note,—

(1) in serial numbers 1 and 2, for full stop, the comma. shall be substituted and thereafter, the words “if inter-State declaration form is not needed.” Shall be inserted; .

(2) after serial number 3, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely:—

“4. Purchase of Schedule-II goods from a registered dealer (TIN wise) of the same rate of tax (Vat) and nature of transaction can be clubbed. (Invoice details, Schedule/ Part/ Entry and Entry Tax status are optional):

Provided that the dealer may apply for statutory forms along with the return by providing invoice details.”;

(v) in PART-E, .the heading “Entry Tax” and PART F and PART G there under shall be omitted;

(7) In Form IO-B,—

(i) in Part E, in the Note, after serial number 3, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely :—

“4. Purchase of Schedule-II goods from a registered dealer (TIN wise) of the same rate of tax (Vat) and Input Tax Rebate Claim status can be Clubbed. (Invoice details, Schedule/ Part/ Entry and Entry Tax status are optional)”;

(ii) in Part F, in the Note, after serial number 3, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely:—

“4. Purchase of Schedule-II goods from a registered dealer (TIN wise) of the same rate of tax (Vat) and nature of transaction can be clubbed. (Invoice details, Schedule/ Part/ Entry and Entry Tax status are optional).”.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
RAVINDRA KUMAR CHOUDHARY, Dy Secy.